बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, मूल्य संवर्द्धन और अन्य संबद्ध सहयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर गन्ना क्षेत्र को प्रोत्साहित और सवंर्द्धित करना ताकि किसानों को उच्चतर रिटर्न प्राप्त हो एवं रोजगार के अधिक अवसरों को पैदा किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत्यादेश संख्या-135 स्वी० दिनांक 29.07.2024 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए रू० 1240.00 लाख (बारह करोड़ चालीस लाख) मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं वाली कुल 81 इकाइयाँ को स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। जिसमें से 70 प्रतिशत गुड़ इकाई गैर चीनी मिल क्षेत्रों एवं 30 प्रतिशत गुड़ इकाई चीनी मिल क्षेत्रों में स्थापित की जानी है तथा इकाइयों द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता- सावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज के दर जो भी कम हो, पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ब्याज आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगा। ब्याज आर्थिक सहायता उस अवधि की मूलधन राशि (ऋण का) के भुगतान करने पर बैंक को अर्द्धवार्षिक / वार्षिक आधार पर दी जायेगी, जो निम्रांकित हैं-

मद	अनुदान
पूँजीगत अनुदान	(क) लघु (5-20 TCD)- पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 6 लाख रूपये। (ख) मध्यम (21-40 TCD)- पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रूपये। (ग) वृहद (41-60 TCD)- पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रूपये। (घ) बड़ी (60 TCD से अधिक) पूँजी लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रू० जो भी अधिक हो तथा अधिकतम 100 लाख रूपये।
ब्याज प्रतिपूर्ति (60 TCD से उपर तथा 500 लाख से अधिक निवेश करने पर)	इकाई द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज के दर जो भी कम हो, पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ब्याज आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगा। ब्याज आर्थिक सहायता उस अवधि की मूलधन राशि (ऋण का) के भुगतान करने पर बैंक को अर्द्धवार्षिक / वार्षिक आधार पर दी जायेगी।

ईच्छुक गन्ना किसान इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु केन केयर पोर्टल (ccs.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/ईख पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।